

कृषि ऋण हेतु आवेदन पत्र
अल्पावधि/मियादी ऋण

फार्म-1

प्रबन्धक,
स्टेट बैंक आफ पटियाला

प्रिय महोदय,

मैं/हम इसके द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु रु० _____

(केवल _____ रुपये) के ऋण के

लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक ब्योरा नीचे दिया गया है।

- (i) उत्पादन ऋण (अनुबन्ध-देखिए)
(ii) मियादी ऋण (प्रयोजन का उल्लेख कीजिए)
(अ) _____
(आ) _____
(इ) _____

रकम (रु०)

जोड़

1. आवेदक (कों) का पूरा नाम सामान्य सूचना पिता/पति का नाम
आयु
1
2
2. पूरा पता नाम ग्राम पोस्ट आफिस तालुका जिला

3. यदि संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य है
(क) "कर्ता" का नाम
4. क्या (राज्य की परिभाषा के अनुसार) सदस्य
अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग से सम्बंधित हैं।
5. जाति का ब्योरा
(स्वामित्व के अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियां भेजें)
(क) स्वामित्व की भूमि :

ग्राम	सर्वे सं०	हक का स्वरूप	कुल क्षेत्रफल	इसमें कितनी सिंचित भूमि है*	लगान
-------	-----------	--------------	---------------	-----------------------------	------

सिंचाई के साधन का उल्लेख करें।

स.बैं.प. 818

C. No. 100791.3

Royson P. 11/06

पट्टे/किराये पर भूमि, आदि

ग्राम	सर्वे सं०	हक का स्वरूप	कुल क्षेत्रफल	इसमें से कितनी भूमि सिंचित है*	पट्टे/किराये की अवधि	वार्षिक देय लगान	मालिक का नाम और पता
-------	-----------	--------------	---------------	--------------------------------	----------------------	------------------	---------------------

*सिंचाई के साधन का उल्लेख करें।

6. उधारकर्ता के रूप में वर्तमान देयताओं का ब्योरा :

एजेन्सी	बकाया रकम (रु०)	इसमें से अतिदेय (रकम रु०)	उधार देने का प्रयोजन	क्या जमानत दी गई है	वर्ष के दौरान देय किस्त/रकम
---------	-----------------	---------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------------

7. खुद के पास खेती के साज सामान का ब्योरा :

साज सामान

- क) जुताई के काम आने वाले पशु
- ख) डेरी पशु
- ग) तेल इंजन/पम्पसैट/बिजली मोटर
- घ) अन्य औजार
- ड) बिजली चालित हल
- च) ट्रैक्टर
- छ) परिवहन गाड़ियां
- ज) अन्य (उल्लेख करें)

मैं/हम इसके जरिये यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिये ब्योरे सच्चे और ठीक हैं।

मैं/हम इसके जरिये बैंक को यह अधिकार देता हूँ/देते हैं कि वह बैंक के पास मेरे/हमारे जो ऋण खाते हैं उनसे संबंधित सभी अथवा कोई ब्योरा अथवा विवरण अथवा जानकारी किसी अन्य वित्तीय संस्था, सरकार अथवा एजेंन्सी (एजेन्सियों) को बता दें बशर्ते कि ऐसा करना बैंक द्वारा बाहरी आवश्यक अथवा वांछनीय समझा जाये।

यदि यह साबित हो जाये कि मेरे/हमारे द्वारा बाहरी ऊधारों की घोषणाओं में गलत तथ्य दिये गये हैं तो बैंक के लिए ऊचित होगा कि वह मुझे/हमें बैंक से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अयोग्य ठहरा दे।

*मैं/हम इसके जरिये घोषित करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन पत्र की तारीख तक मैंने/किसी अन्य एजेन्सी से उधार नहीं लिया है।

आवेदक (कों) के हस्ताक्षर

इस खाना 6 में 'कुछ नहीं' रिपोर्ट होने पर भरा जाए।

मार्जिन व प्रतिभूति आवश्यकताओं हेतु मापदण्ड
(कृषि ऋण के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाए)

ऋण सुविधा का स्वरूप	1. मार्जिन राशि	मार्जिन
1. फसली ऋण		
(i) छोटे तथा सीमान्त किसानों को 5000 रुपये तक ऋण हेतु जो मानक वित्तमान के अनुसार स्वीकृत किये गए हों		कोई मार्जिन नहीं
(ii) उन ऋणियों तथा फसली ऋणों हेतु जो उपरोक्त मद (i) में शामिल नहीं		मद 15% से 25% तक (ऋण के उद्देश्य तथा मात्रा पर निर्भर करता है)
2. मियादी ऋण		
(i) आर्थिक यूनिट के क्रय मूल्यों तक (जहां लागू हो) या 5000 रुपये जो दोनों हालतों में कम हो तथा मियादी ऋण जो कुल मिलाकर (5000 रुपये से अधिक न हो)		
क) छोटे तथा सीमान्त किसानों, खेती मजदूरी तथा दूसरे विशिष्ट वर्ग से ऋण लेने वाले, जहां विशेष कृषि विकास कार्यक्रम यथा आई आर डी पी इत्यादि के अधीन सहायकी उपलब्ध हो।		कोई मार्जिन नहीं
ख) मद (क) में उल्लिखित ऋणियों के लिए जहां सहायकी उपलब्ध नहीं है।		5% (ए.डी.सी. की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए)
(ii) समस्त मियादी ऋणों तथा ऋणियों के लिए जो मद (i) में सम्मिलित नहीं है।		15% से 25% तक (ऋण के उद्देश्य तथा मात्रा पर निर्भर करता है)

टिप्पणी : (उपरोक्त मद। व।। दोनों के लिए)

क) सहायकी

जहां सहायकी उपलब्ध है, उसे ही मार्जिन मान लेना चाहिए तथा इसके अतिरिक्त और मार्जिन राशि निर्दिष्ट नहीं करनी चाहिए।

आर्थिक यूनिट

भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग ए.सी.डी. ने कतिपय गतिविधियों के सम्बन्ध में न्यूनतम आर्थिक यूनिट निर्धारित किए हैं तथा दूध देने वाले पशुओं की खरीद, पशु मुर्गीखाने हेतु 50/100 लेअर, सूअर पालन हेतु-3 सूअरियों 2000 रुपये, ये उदाहरण है। इस सम्बन्ध में कोई विशेष सीमा निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन गतिविधियों पर आने वाली लागत नसल की किस्म तथा जानवरों/पक्षियों की उपलब्धता तथा मौसम क्षेत्रीय परिवर्तनों के अनुसार भिन्न हो सकती है। बैंक को इन कारणों के लिए रियायत देनी होगी।

2. प्रतिभूति मानदण्ड

<u>ऋण सुविधा का स्वरूप</u>	<u>ऋण की राशि</u>	<u>दी जाने वाली जमानत</u>
1. फसली ऋण	(i) 1000 रुपये तक (ii) 1001 रु. से 5000 रु. तक (iii) 5000 रु. से अधिक	केवल मांग वचन पत्र/ऋण करार फसल का आड़मान क) फसल का आड़मान और ख) भूमि बन्धक या तीसरी पार्टी की प्रत्याभूति
2. निवेश ऋण (जहां ऋण की सहायता से चल सम्पति बनाना हो)	i) आर्थिक यूनिट के क्रय मूल्य तक (जहां लागू हो) या 5000 रुपये से कम हो ii) अन्य (अर्थात् जो उपरोक्त मद में वर्णित राशियों से अधिक हो)	सम्पति का आड़मान क) सम्पति का आड़मान और ख) भूमि बन्धक या तीसरी पार्टी की प्रत्याभूति
जहां चल सम्पति ऋण की सहायता	1000/-रुपये तक और अधिक	भूमि बन्धक*

*बैंक के विवेकाधिकार अनुसार भूमि बन्धक होगी

टिप्पणी : ऐसे राज्यों में जहां तलवार कमेटी द्वारा सिफारिश किये हुए सुझावों पर कानून पास हो गए हों वहां प्रतिभूति के लिए प्रस्तुत जमीन पर साधारण प्रभार की घोषणा पर्याप्त है। ऐसे केसों में भूमि का रहना आवश्यक नहीं।

बैलों की खरीद

फार्म II (vi)

- | | | | |
|----|--|---------|--|
| 1. | बैलों की खरीद
क) इस समय खुद के पास कितने बैल हैं
ख) कितने बैल खरीदने का प्रस्ताव है | | |
| 2. | बैलों की खरीद/उन्हे बदलने के कारण
(यदि कोई हो) | | आयु वर्ष |
| 3. | खरीदे जाने वाले/बदले जाने वाले बैलों की
अनुमानित लागत | नसल | अनुमानित लागत
रु |
| 4. | चालू वर्ष के आवेदित/मंजूर किये गये अल्पावधि
ऋणों का ब्योरा लिखें | एजेन्सी | रकम
रु |
| 5. | यदि अतिरिक्त बैलों से फसल पद्धति
में परिवर्तन करना सम्भव है तो परिवर्तित फसल
का स्वरुप लिखें | फसल | फसल के अन्तर्गत
आने वाला एकड़ क्षेत्र |
| | | खरीफ | |
| | | 1 | |
| | | 2 | |
| | | 3 | |
| | | रबी | |
| | | 1 | |
| | | 2 | |
| | | 3 | |
| 6. | दिये जाने के लिये प्रस्तावित जमानत/जामिन | | |

स्थान

दिनांक

आवेदक (कों) के हस्ताक्षर

बैंक पर्यवेक्षक की रिपोर्ट